न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)
दावा संख्या :–53/2015
निर्णय दिनांकः– 17.09.2019

उनवान

मानसिंह पुत्र मोहनलाल जाति राजपूत निवासी बहड तहसील निवाई जिला टोंक राज.

–वादी

बनाम

तहसीलदार निवाई

–प्रतिवादी

दावा बाबत उद्‌घोषणा, दुरूस्ती शीट एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री शंकरलाल चौधरी वकील वादी

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि आराजी ख.नं. 1920/11 रकबा 0–09 बीघा व ख.नं. 1920/12 रकबा 0–15 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 01–04 बीघा वाके ग्राम बहड तहसील निवाई में स्थित भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है और वादी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। उक्त भूमि अपने गांव के ही रतनलाल जाट से करीब 13–14 वर्ष पूर्व जरिये रजिस्टर्ड विकग्र पत्र कय की थी तब से वादी काबिज काश्त है। उक्त भूमि ख.नं. 1920/14 रकबा 0–09 बीघा व ख.नं. 1920/12 रकबा 0–15 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 01–04 बीघा वाके ग्राम बहड तहसील निवाई की तरमीम राजस्व शीट में नहीं हो रखी है। उक्त भूमि ख.नं. 1920/4, 1811, 1821, 1822, 1823 व 1920/1 के मध्य में स्थित है। उसी स्थान पर वादी काबिज काश्त है। लिहाजा उसी स्थान पर आराजी ख.नं. 1920/11 व 1920/12 का राजस्व शीट में अंकन किया जाना विधिसंगत व न्यायसंगत है। अतः वादी की अधियाचना है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी बाबत् शीट दुरूस्ती डिकी किया जाकर वर्तमान राजस्व शीट में ख.नं. 1920/4, 1811, 1821, 1822, 1823 व 1920/1 वाके ग्राम बहड तहसील निवाई के मध्य की भूमि जिस पर वादी उक्त भूमि को कय करने के पश्चात् व पूर्व खातेदार रतनलाल जाट उसके पूर्वजों के समय से काबिजकाश्त चला आ रहा है लिहाजा उसी स्थान पर आराजी ख.नं. 1920/11 व 1920/12 वाके ग्राम बहड तहसील निवाई का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनुरूप राजस्व शीट में ख.नं. 1920/11 रकबा 0–09 बीघा व ख.नं. 1920/12 रकबा 0–15 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 01–04 बीघा वाके ग्राम बहड तहसील निवाई का अंकन किया जावे व उसी अनुरूप राजस्व शीट में तरमीम कायम की जावे।

दावा पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी तहसीलदार निवाई की ओर से जवाब पेश किया गया कि ग्राम बहड के ख.नं. 1920/11 रकबा 0–09 बीघा व ख.नं. 1920/12 रकबा 0–15 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 01–04 बीघा भूमि वादी मनसिंह पुत्र मोहनलाल जाति राजपूत के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त मूल ख.नं. 1920 कुल रकबा 58–12 बीघा था जिसमें विभिन्न आवंटनों से वर्तमान में मूल खसरा नम्बर के 14 टुकडे होकर अलग–अलग खातेदारों के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी अपना कब्जा जहां दर्शाता है वह भूमि ख.नं. 1920/14 रकबा 08–00 बीघा जगदीश प्रहलाद भंवरलाल पि. सुजा वगैरह जाट निवासी बहड की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। वादी कब्जा मौका अनुसार ख.नं. 1920/11 रकबा 0–09 बीघा व ख.नं. 1920/12 रकबा

47D:\Rajsw\Court\Faisale\Faisale.docx431

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

Scanned by CamScanner

0–15 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 01–04 बीघा वाके ग्राम बहड तहसील निवाई की तरमीम चाहता है जबकि नियमानुसार तरमीम आवंटित भूमि की सुपुर्दगीनामानुसार किया जाना उचित हैं।
तनकियात निम्नानुसार कायम की गई–

1. आया वादी ख.नं. 1920/11 व 1920/12 की भूमि का खातेदार है जिसे उसने करीब 13–14 वर्षों पूर्व जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया तब से वह ख.नं. 1920/4, 1811, 1821, 1822, 1823 व 1920/1 के मध्य की भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज है एवं उसी अनुरूप मुताबिक कब्जे के उक्त भूमि की उद्घोषणा एवं उसी अनुरूप राजस्व शीट में दुरूस्ती कराने का अधिकारी है तथा स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का अधिकारी है?
–वादी
2. आया अन्य अनुतोष?
–वादी

प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार अनुपस्थित रहने के कारण प्रवितादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। वकील वादी ने साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे ही बहस करने हेतु निवेदन किया।

वकील वादी की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने प्रस्तुत वाद का दोहरान करते हुए बहस में निवेदन किया कि आराजी ख.नं. 1920/11 रकबा 0–09 बीघा व ख.नं. 1920/12 रकबा 0–15 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 01–04 बीघा वाके ग्राम बहड तहसील निवाई में स्थित भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है और वादी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। उक्त भूमि अपने गांव के ही रतनलाल जाट से करीब 13–14 वर्ष पूर्व जरिये रजिस्टर्ड विकग्र पत्र क्रय की थी तब से वादी काबिज काश्त है। उक्त भूमि ख.नं. 1920/11 रकबा 0–09 बीघा व ख.नं. 1920/12 रकबा 0–15 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 01–04 बीघा वाके ग्राम बहड तहसील निवाई की तरमीम राजस्व शीट में नहीं हो रखी है। उक्त भूमि ख.नं. 1920/4, 1811, 1821, 1822, 1823 व 1920/1 के मध्य में स्थित है। उसी स्थान पर वादी काबिज काश्त है। लिहाजा उसी स्थान पर आराजी ख.नं. 1920/11 व 1920/12 का राजस्व शीट में अंकन किया जाना विधिसंगत व न्यायसंगत है। अतः निवेदन है कि वर्तमान राजस्व शीट में ख.नं. 1920/4, 1811, 1821, 1822, 1823 व 1920/1 वाके ग्राम बहड तहसील निवाई के मध्य की भूमि जिस पर वादी उक्त भूमि को क्रय करने के पश्चात् व पूर्व खातेदार रतनलाल जाट उसके पूर्वजों के समय से काबिजकाश्त चला आ रहा है लिहाजा उसी स्थान पर आराजी ख.नं. 1920/11 व 1920/12 वाके ग्राम बहड तहसील निवाई का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनुरूप राजस्व शीट में ख.नं. 1920/11 रकबा 0–09 बीघा व ख.नं. 1920/12 रकबा 0–15 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 01–04 बीघा वाके ग्राम बहड तहसील निवाई का अंकन किया जावे व उसी अनुरूप राजस्व शीट में तरमीम कायम की जावे।

वकील वादीगण की एकतरफा बहस का मनन व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादी की क्रयशुदा भूमि पर वादी का क्रय करने के समय से ही 13–14 वर्ष से निर्बाध कब्जा है। कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना जायज है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जाता है कि वादी की भूमि आराजी ख.नं. 1920/11 रकबा 0–09 बीघा व ख.नं. 1920/12 रकबा 0–15 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 01–04 बीघा वाके ग्राम बहड तहसील निवाई की वर्तमान में चल रही राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डीआईएलआरएमपी के तहत मौका निरीक्षण कर विभागीय नियमानुसार तरमीम की कार्यवाही करें।

यह निर्णय आज दिनांक 17.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

17/9/19

जे.पी.बैरवा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

मानसिंह पुत्र मोहनलाल जाति राजपूत निवासी बहड तहसील निवाई जिला टोंक राज.

—वादी

बनाम

तहसीलदार निवाई

—प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती शीट
एवं स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा संख्याः— 53/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री जे.पी.बैरवा आर०ए०एस० ब हाजरी श्री शंकरलाल चौधरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जाता है कि वादी की भूमि आराजी ख.नं. 1920/11 रकबा 0—09 बीघा व ख.नं. 1920/12 रकबा 0—15 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 01—04 बीघा वाके ग्राम बहड तहसील निवाई की वर्तमान में चल रही राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डीआईएलआरएमपी के तहत मौका निरीक्षण कर विभागीय नियमानुसार तरमीम की कार्यवाही करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 09 सन् 2019 को जारी की गई।

17/9

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

47D:\Rajsw\Court\Faisale\Faisale.docx433

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Bairwa
Date: 2019.11.29 15:12:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: